

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक : ए.4()लेखा/ प्रतिबद्ध/2019-20/

दिनांक -

संबंधित कार्यालयाध्यक्ष,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान,जयपुर।

विषय :-वर्ष 2019-20 हेतु राज्य निधि के प्रतिबद्ध बजट मदो मे 03-यात्रा व्यय तथा
04- चिकित्सा व्यय में अतिरिक्त बजट आवंटन के क्रम मे।


संदर्भ :-विभाग का समसंख्यक पत्राक 11 दिनांक 03.04.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सदरभित पत्र के क्रम में आप द्वारा प्रेषित लम्बित दायित्वो की सूचनानुसार वर्ष 2019-20 के लिए राज्य निधि के प्रतिबद्ध बजट मदो मे 03-यात्रा व्यय तथा 04- चिकित्सा व्यय मे संलग्न विवरणानुसार अतिरिक्त बजट आवंटन किया जाता है। आवंटित राशि का नियमानुसार उपयोग दिनांक 10.06.2019 तक आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करे।दिनांक 11.06.2019 को आपकी ऑफिस आईडी मे बची हुई राशि कोई लम्बित दायित्व न होना मानते हुए प्रत्याहारित कर ली जावेगी।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


नोट:- 1."राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम-2013" के प्रावधानो तथा समय समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्रो के नियमानुसार ही चिकित्सा व्यय बिलो की पुनर्भरण योग्य राशि का भुगतान किया जावे।

2. आवंटित राशि के व्यय के संबंध मे विभाग के पत्र क्रमांक:-ए-4 (1)लेखा/प्रतिबद्ध/2019-20/01 दिनांक 01.04.2019 में दिये गये अनुदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करावे।


उप वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- ए-4 () लेखा/ प्रतिबद्ध/2019-20/140 दिनांक : 10/05/2019

प्रतिलिपि:-प्रभारी सर्वर, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त बजट आवंटन को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।


उप वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर